राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

--:: आदेश ::--

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ज्योति चौहान बनाम अति.सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.3, जोधपुर व अन्य।

एकल पीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या **: 420/2009**

* * * * *

आदेश दिनांक : **07.5.2012**

-: उपस्थित :-

माननीय न्यायाधिपति श्री संदीप मेहता

याची के अधिवक्ता डॉ. शैलेन्द्र काला,
लोक अभियोजक श्री ए.आर.निकुब।

* * * * *

न्यायालय द्वारा **:**

यह विविध याचिका याची की ओर से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.11.06, जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याची के विरूद्ध धारा 181 व 182 भारतीय दण्ड संहिता की कार्यवाही का नोटिस जारी किया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

योग्य अभिभाषक याची का तर्क है कि इस मामले में याची द्वारा विद्वान अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, जोधपुर के न्यायालय

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत इस्तगासा प्रस्तुत किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त इस्तगासे को गैर क्षेत्राधिकार का मानते हुए याची को लौटाने का निर्देश दिया, परन्तु साथ ही याची के विरूद्ध धारा 181 व 182 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही करने के लिए आदेश दिनांक 22.11.06 के द्वारा नोटिस जारी कर दिया, जिसके विरूद्ध यह विविध याचिका प्रस्तुत की गई है। याची के अधिवक्ता का तर्क है कि याची ने अपना निवास स्थान का पता स्पष्ट रूप से परिवाद में दर्ज किया था एवं सहवनवश पुलिस थाना, उदयमन्दिर का क्षेत्राधिकार इस परिवाद पर लिख दिया गया था। याची के अधिवक्ता ने विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला, जोधपुर के न्यायालय की आदेशिका दिनांकित 29.8.09 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्पश्चात याची द्वारा सही क्षेत्राधिकार में प्रार्थना-पत्र पेश किया गया एवं उस प्रार्थना-पत्र में भी जरिए राजीनामा मामले का निस्तारण किया गया। अत: उन्होंने निवेदन किया कि इस मामले में बिना किसी आधार के याची के विरूद्ध धारा 181 व 182 भारतीय दण्ड संहिता का जो नोटिस विद्वान विचारण न्यायालय ने याची को जारी किया है वह अवैधानिक व विधि विरूद्ध है।

मैंने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

निर्विवाद रूप से याची द्वारा जो परिवाद प्रस्तुत किया गया था उसमें अपने पता शास्त्री नगर का होना बताया था। मात्र पुलिस थाना उदयमन्दिर के क्षेत्राधिकार में वादकरण उत्पन्न होना लिख देने से ही याची द्वारा गलत सूचना न्यायालय को दी गई हो, यह कहना उचित

नहीं होगा। न्यायालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा मामले में रिपोर्टिंग की जाती है तो क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में रिपोर्टिंग करने का यही आशय होता है कि सही क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा परिवाद को सुना जावे। रिपोर्टिंग के समय यह ज्ञात हुआ कि क्षेत्राधिकार अन्य न्यायालय का है, जिस पर परिवाद याची को लौटाया गया था। ऐसी परिस्थितियों में धारा 181 व 182 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कोई कार्यवाही करने के आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं थे, अत: आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से अवैधानिक व विधि-विरूद्ध प्रतीत होता है।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अत: यह विविध याचिका स्वीकार की जाती है एवं विद्वान अति. सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, संख्या 3, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.11.06, जिसके द्वारा याची को धारा 181 व 182 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु नोटिस जारी किया गया है, अपास्त किया जाता है।

(संदीप मेहता)
न्यायाधिपति

जी.एन.शर्मा